अनैतिकता को नहीं देख सकते पारंपरिक पितृसत्तात्मक नजरिए से

सुप्रीम कोर्ट ने महिला की गरिमा व निजता को ध्यान में रखते हुए अनैतिकता को फिर से परिभाषित किया

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। महिलाओं की गरिमा, निजता व यौन स्वायत्तता पर अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानून के तहत अनैतिकता या अशुद्धता की अवधारणा की व्याख्या आधुनिक संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए न कि नैतिकता की पुरानी पितृसत्तात्मक धारणाओं के आधार पर।

फैसले में जोर दिया गया कि अनैतिकता को पारंपरिक पितृसत्तात्मक नैतिकता के नजरिए के बजाय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत महिला की गरिमा व स्वायत्तता के दृष्टिकोण से समझना चाहिए। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के भाग दो के तहत आरोपी की दोषसिद्धि को सही ठहराते हुए यह टिप्पणी की।

अपीलकर्ता विजय कुमार ने पूर्व पार्टनर का नहाते हुए वीडियो फेसबुक पर अपलोड करने की धमकी दी थी।

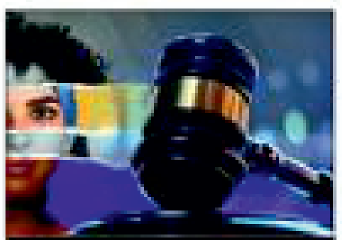

महिला का निजी वीडियो अपलोड करने की धमकी देना अपराध

कोर्ट ने महिला पर अनैतिकता का आरोप लगाने के बराबर माना। पीठ ने कहा, पीड़िता का ऐसा वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देना, आईपीसी की धारा 506 के भाग दो के अर्थ के तहत अनैतिकता का आरोप लगाने की धमकी देने वाला कृत्य है।

कोर्ट ने कहा, बाथरूम में किसी को भी निजता की उम्मीद होती है। निजी तस्वीरों को प्रकाशित करने की धमकी उसकी गरिमा और यौन स्वायत्तता का उल्लंघन होगी। ऐसा वीडियो उसकी बहुमूल्य निजता में दखल और यौन चरित्र का अपमान करने के बराबर है।

पवित्रता को सिर्फ नैतिकता के दृष्टिकोण से देखना सही नहीं

शीर्ष अदालत ने कहा, पवित्रता को केवल नैतिकता के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, जो सिर्फ सदाचार पर केंद्रित हो। इसे एक महिला की गरिमा और स्वायत्तता के नजरिए से देखा जाना चाहिए ताकि वह अपनी यौन पसंद और आदतों के बारे में खुद फैसला कर सके।

- 11 साल पुराना मामला : तमिलनाडु के जिले पुलिस थाने में 2015 में दी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि वह आरोपी के साथ रिश्ते में थी, जिसने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। रिश्ता खराब होने पर आरोपी ने वीडियो फेसबुक पर अपलोड करने की धमकी दी।

हिमाचल में चोटियों पर बर्फबारी, रोहतांग में बर्फीला तूफान... रास्ते में फंसे पर्यटकों के सैकड़ों वाहन

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को अचानक मौसम बदला और रोहतांग, किन्नौर कैलाश व पांगी-भरमौर की चोटियों पर बर्फबारी हुई। शिमला में अंधड़ के साथ बारिश हुई। इससे अधिकतम तापमान पांच से छह डिग्री गिर गया।

- रोहतांग टॉप में बर्फीला तूफान भी चला। रोहतांग दर्रे और आसपास की ऊंची चोटियों पर सुबह से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। निचले इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हुई। रोहतांग में 10 सेमी बर्फबारी से पर्यटकों के सैकड़ों वाहन रास्ते में फंस गए। शिंकुला, बारालाचा और कुंजम दर्रा में भी फाहे गिरे। ब्यूरो

नैनीताल में गर्मी का पांच साल का रिकॉर्ड टूटा

ठंडी वादियों और सुकून भरे मौसम के लिए मशहूर नैनीताल में रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। शुक्रवार को यहां तापमान पांच वर्षों में सबसे अधिक 31.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और शहरीकरण से तापमान में वृद्धि हुई है।

- उत्तर भारत में सात दिन भीषण लू की चेतावनी : उत्तर भारत में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों, मध्य और पूर्वी भारत में सात दिनों तक लू से लेकर भीषण लू की स्थिति की चेतावनी दी है।

सरकार को 2.87 लाख करोड़ का लाभांश देगा आरबीआई

बढ़ते आयात बिल के बीच सरकार को मिलेगा सहारा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के कारण उपजी बाहरी और घरेलू चुनौतियों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष (लाभांश) हस्तांतरित करेगा। यह राशि 2024-25 के 2.69 लाख करोड़ की तुलना में 6.7% अधिक है, जो आरबीआई की मजबूत आय स्थिति को दर्शाती है।

कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण बढ़ते आयात बिल और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के बीच इस रकम से सरकारी खजाने को सहारा मिलेगा। आरबीआई ने अधिशेष देने की घोषणा करते हुए कहा, जोखिम प्रावधान और वैधानिक कोष में हस्तांतरण से पहले उसकी शुद्ध आय 2025-26 में बढ़कर 3.96 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई, जो 2024-25 में 3.13 लाख करोड़ रुपये थी। वहीं, 31 मार्च तक बैलेंस शीट 20.61% की बढ़ोतरी के साथ 91,97,121.08 करोड़ रुपये हो गई। ब्यूरो

क्या लंबी कैद और केस में देरी जमानत का बन सकता है आधार : शीर्ष कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दो आरोपियों, अब्दुल खालिद सैफी और तस्लीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही, शीर्ष न्यायालय ने इस कानूनी सवाल को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है कि क्या लंबे समय तक कैद और मुकदमे में देरी गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), 1967 जैसे कठोर कानूनों के तहत जमानत की वैधानिक शर्तों को खत्म कर सकती है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने 2020 के दंगे के दोनों आरोपियों को जमानत देते हुए मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने का फैसला सुनाया। हालांकि, पीठ ने जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के हालिया फैसले पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया, जिसमें उसने इसी मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इन्कार करने के 5 जनवरी के फैसले की आलोचना की थी। ब्यूरो

बैडमिंटन खिलाड़ी को अगवा कर 3 दिन पीटा, मौत

प्रेम-प्रसंग के मामला : युवती के घर के बाहर घायल मिला था युवक

बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। राज्य स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ी भिवाड़ी के मैदपुर गांव निवासी 21 वर्षीय मोनू की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि प्रेम-प्रसंग में उसकी हत्या की गई है। मोनू का अपहरण कर तीन दिन तक बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट की गई। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मोनू घायल अवस्था में लड़की के घर के बाहर मिला था।

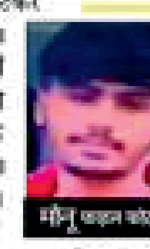

चाचा नरेंद्र के अनुसार, मोनू ने इस बार 12वीं की परीक्षा दी थी। उसने करीब 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। वह स्कूल की ओर से स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुका था। जिला स्तर पर कई मेडल जीत चुका था। उसके पिता भीम सिंह चालक हैं और परिवार में दो भाई हैं। उन्होंने बताया कि तिगांव क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की नाबालिग बेटी का अपने मामा के यहां मैदपुर आना-जाना था। इसी दौरान उसकी दोस्ती मोनू से हुई। पुलिस के अनुसार, मोनू अप्रैल में लड़की को अपने साथ ले गया था। लड़की के पिता ने तिगांव थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने लड़की को तलाश कर परिवार को सौंप दिया। मोनू तब से फरार चल रहा था। संवाद

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना
E-Auction के आधार पर

परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति प्रबंधन, पीएनबी भवन सी 01 वेद्व व्यास पुरी, दिल्ली बाईपास रोड, मेरठ– 250002, ई–मेलः cs8278@pnb.bank.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 व 9 के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 6 (2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

इसके द्वारा सामान्य जनसाधारण को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पक्ष में बंधक/चार्ज की गई है तथा जिसकी निर्मित/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा बैंक/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी है'' के आधार पर विक्रय किया जाएगा। यह विक्रय संबंधित उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) से बैंक/सुरक्षित ऋणदाता के बकाया देयकों की वसूली हेतु किया जा रहा है। संबंधित संपत्तियों के लिए आरक्षित मूल्य तथा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

क्र0 सं0	शाखा / खाता / ऋणी / गारन्टर का नाम व पता	चल/अचल सम्पत्ति का विवरण दृष्टिबंधक/प्रभार/बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधककर्ता)	(ए) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(2) की तिथि (बी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धार 13 (2) के तहत मांग सूचना (सी) दिनांक 30.04.2026 तक शेष राशि (डी) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(4) की तिथि (ई) कब्जे के प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/सांकेतिक	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/दिनांक / सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
1	**शाखाः ई0के0 रोड, मेरठ (253400)** श्री जगरोशन सिंह पुत्र श्री बालकिशन किशन **(ऋणी/बंधककर्ता)**, पता 1ः मकान नं. 371/5, न्यू गोविन्दपुरी, कंकरखेड़ा, मेरठ कैंट, मेरठ - 250001, पता 2ः फ्लैट नं0 403, चतुर्थ तल, लक्ष्मण कुटीर, श्री धाम अपार्टमेंट, रोहटा रोड, मेरठ, उ0प्र0- 250001	बंधक एक आवासीय फ्लैट चतुर्थ तल पर नं0 403, माप क्षेत्रफल 135.72 वर्ग मीटर स्थित ''लक्ष्मण कुटिर'', श्री धाम अपार्टमेंट, साई उद्यान, रोहटा रोड, मेरठ, उ0प्र0- 250001, सम्पत्ति की सीमाएँः- पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः खुला, उत्तरः फ्लैट नं0 402, दक्षिणः खुला। सम्पत्ति स्वामी श्री जगरोशन पुत्र श्री बाल किशन।	(क) 23.02.2022 (ख) रू0 43,00,496.10 दिनांक 31.01.2022 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.02.2022 + कानूनी एवं अन्य खर्चे (ग) रू0 **64,95,880.76** + ब्याज दिनांक 01.05.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (घ) 07.06.2022 (ड.) भौतिक कब्जा	रू0 28.50 लाख रू0 2.85 लाख रू0 0.30 लाख	08.06.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 07.06.2026	ज्ञात नहीं
2	**शाखाः बड़ौत (004200)** श्री राहुल अरोड़ा पुत्र श्री अशोक कुमार **(ऋणी)**, पता 1ः मकान नं0 10/84, गुसाईंया, पीएस- बड़ौत, तहसील- बड़ौत, जिला- बागपत- 250611, पता 2ः 74, गुरान रोड, पंजाबी कॉलोनी, तहसील- बड़ौत, जिला- बागपत (उ0प्र0)- 250611, श्री अशोक कुमार पुत्र श्री चन्द्र भान **(सह-ऋणी)**, पता 1ः मकान नं0 10/84, गुसाईंया, पीएस- बड़ौत, तहसील- बड़ौत, जिला- बागपत- 250611, पता 2ः 74, गुरान रोड, पंजाबी कॉलोनी, तहसील- बड़ौत, जिला- बागपत (उ0प्र0)- 250611, श्री भरत अरोड़ा पुत्र श्री अशोक कुमार **(गारन्टर)**, पताः 74, गुरान रोड, पंजाबी कॉलोनी, तहसील-बड़ौत, जिला- बागपत (उ0प्र0)- 250611, श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री अशोक कुमार **(गारन्टर + बंधककर्ता)**, पताः 74, गुरान रोड, पंजाबी कॉलोनी, तहसील- बड़ौत, जिला- बागपत (उ0प्र0)- 250611	बंधक एक मकान म्यूनिसिपल नं0 10/84 एम, माप क्षेत्रफल पूर्व- 43 फीट 3 इंच, पश्चिम- 43 फीट 3 इंच, उत्तर- 17 फीट 9 इंच, दक्षिण- 17 फीट 9 इंच, कुल माप क्षेत्रफल 85.30 वर्ग गज अर्थात् 71.32 वर्ग मीटर। स्थित- पंजाबी क्वाटर पट्टी बेरू कस्बा बड़ौत, नगर पालिका परिषद की सीमा में, तहसील- बड़ौत, जिला- बागपत। सीमाएँः- पूर्वः सुदर्शन एवं तिरखा का मकान, पश्चिमः भगवान दास का मकान, उत्तरः विक्रेता का मकान, दक्षिणः गली।	(ए) 22.09.2022 (बी) रू0 15,20,178.00 + ब्याज दिनांक 01.09.2022 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (सी) रू0 15,17,017.13 + ब्याज दिनांक 01.05.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (डी) 30.11.2022 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 27.00 लाख रू0 2.70 लाख रू0 0.30 लाख	08.06.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 07.06.2026	SA/71/2026 डीआरटी लखनऊ
3	**शाखाः आबू लेन, मेरठ (031800)** श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह **(सह-उधारकर्ता + बंधककर्ता)**, पता-1ः मकान नं. 10, जवाहरपुरी, कंकरखेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश -250001। पता-2ः मकान नं. 73 एवं 77, मोहल्ला बड़ा बाजार, कंकरखेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश, पिन-250001। श्रीमती नवनीत कौर पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह **(सह-उधारकर्ता + बंधककर्ता)**, पता-1ः मकान नं. 10, जवाहरपुरी, कंकरखेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश, पिन-250001। पता-2ः मकान नं. 73 एवं 77, मोहल्ला बड़ा बाजार, कंकरखेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश, पिन-250001।	बंधक एक आवासीय बिल्डिंग, मकान नं. 73 एवं 77, क्षेत्रफल 71.07 वर्ग मीटर, जो मोहल्ला बड़ा बाजार, कंकरखेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह के नाम दर्ज है। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः- पूर्वः 3 फीट चौड़ी गली, पश्चिमः कृष्ण पाल रवि कुमार का मकान, उत्तरः 18 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः ओम प्रकाश का मकान।	(ए) 02.05.2022 (बी) रू0 26,30,065.34 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.05.2022 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (सी) रू0 43,84,909.55 + ब्याज दिनांक 01.05.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (डी) 29.07.2022 ई) भौतिक कब्जा	रू0 23.50 लाख रू0 2.35 लाख रू0 0.30 लाख	08.06.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 07.06.2026	ज्ञात नहीं
4	**शाखाः मंगल पांडेय नगर, मेरठ** श्रीमती चितवन शर्मा पत्नी श्री विवेक शर्मा **(ऋणी/बंधककर्ता)**, पता 1ः मकान नं. 135, सदर चौक बाजार, मेरठ- 250002, पता 2ः जी-102, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम, फेस-1, मोदीपुरम, मेरठ। पता 3ः 62/5, सुभाष नगर, गली नं0 1, मेरठ, उ0प्र0- 250002, पता 4ः 219, भारत कुटीर, श्री धाम अपार्टमेंट, रोहटा रोड, मेरठ। श्री विवेक शर्मा पुत्र श्री सतेन्द्र पाल **(गारन्टर)**, पता 1ः मकान नं. 135, सदर चौक बाजार, मेरठ- 250002, पता 2ः जी-102, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम, फेस-1, मोदीपुरम, मेरठ। पता 3ः 62/5, सुभाष नगर, गली नं0 1, मेरठ, उ0प्र0- 250002, पता 4ः 418, भारत कुटीर, श्री धाम अपार्टमेंट, रोहटा रोड, मेरठ।	बंधक आवासीय फ्लैट नं0 219 के सभी भाग व भूखंड, स्थत ''भरत कुटीर'' श्री धाम अपार्टमेंट, रोहटा रोड, परगना एवं जिला- मेरठ, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती चितवन शर्मा पत्नी श्री विवेक शर्मा, माप क्षेत्रफल 107.58 वर्ग मीटर। सीमाएँः- पूर्वः रास्ता, पश्चिमः खुला स्पेश, उत्तरः फ्लैट नं0 218, दक्षिणः खुला स्पेश।	(ए) 16.03.2023 (बी) रू0 41,16,250/- + कानूनी एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.03.2023 (पूर्ण भुगतान होने तक) (सी) रू0 54,50,034.00 + ब्याज दिनांक 21.06.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (डी) 18.07.2023 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 29.00 लाख रू0 2.90 लाख रू0 0.50 लाख	16.06.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 15.06.2026	ज्ञात नहीं
5	**शाखाः बागपत रोड, मेरठ (253300)** मैसर्स वॉली इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, पताः 11/5, ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली रोड, मेरठ (उ.प्र.)- 250002। श्री रामेन्द्र कुमार जैन **(निदेशक एवं गारंटर)**, पताः मकान संख्या 13ए, बीच वाली गली, जैन नगर, रेलवे रोड, मेरठ- 250002। श्री दीपक जैन, पुत्र श्री रामेन्द्र जैन **(निदेशक एवं गारंटर)**, पताः मकान संख्या 13ए, बीच वाली गली, जैन नगर, रेलवे रोड, मेरठ- 250002। श्री मोहित जैन, पुत्र श्री सुधीर कुमार जैन **(गारंटर)**, पताः मकान संख्या 13ए, बीच वाली गली, जैन नगर, रेलवे रोड, मेरठ- 250002। श्रीमती अंशु जैन **(गारंटर)**, पताः मकान संख्या 13ए, बीच वाली गली, जैन नगर, रेलवे रोड, मेरठ - 250002। श्रीमती अंजू जैन, पत्नी श्री सुधीर कुमार जैन **(गारंटर)**, पताः मकान संख्या 13ए, बीच वाली गली, जैन नगर, रेलवे रोड, मेरठ- 250002।	प्लॉट संख्या 9, स्कीम संख्या 2, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर, बरेली ट्रांसपोर्ट कंपनी के निकट, मेरठ (उ.प्र.) में स्थित सम्पत्ति के समस्त भाग एवं भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 336.39 वर्ग मीटर है, जो श्री मोहित जैन पुत्र श्री सुधीर कुमार जैन, श्रीमती अंजू जैन पत्नी श्री सुधीर कुमार जैन एवं श्रीमती अंशु जैन पत्नी श्री मोहित जैन के नाम पर है। **नोटः खाता मैसर्स वॉली इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड में कुल तीन सम्पत्तियाँ बंधक रखी गई हैं। विवरण निम्नानुसार हैः-**	(ए) 10.11.2022 (बी) रू0 5,05,70,901.07 + ब्याज दिनांक 01.11.2022 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (सी) रू0 7,57,61,660.07 + ब्याज दिनांक 21.05.2026 + कानूनी एवं खर्चे एनपीए के बार (डी) 23.01.2023 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 350.00 लाख रू0 35.00 लाख रू0 3.50 लाख	16.06.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 15.06.2026	ज्ञात नहीं
	सम्पत्ति संख्या 1: बंधक प्लॉट संख्या 9, के सभी भाग भूखंड, स्थित स्कीम संख्या 2, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर–बरेली ट्रांसपोर्ट कंपनी के निकट, मेरठ (उ.प्र.)। जिसका क्षेत्रफल 165.83 वर्ग मीटर है, जो श्री मोहित जैन पुत्र श्री सुधीर कुमार जैन के नाम पर है। विक्रय विलेख दिनांक 16.05.2012 को उप-निबंधक, मेरठ के कार्यालय में बही संख्या 1, जिल्द संख्या 7817, पृष्ठ संख्या 37 से 74, क्रमांक 7974 पर पंजीकृत है तथा संशोधन विलेख दिनांक 14.03.2013 को उप-निबंधक, मेरठ के कार्यालय में बही संख्या 1, जिल्द संख्या 8619, पृष्ठ संख्या 273 से 284, क्रमांक 3275 पर पंजीकृत है। **सम्पत्ति संख्या 2:** प्लॉट संख्या 9 के सभी भाग व भूखंड, स्थित स्कीम संख्या 2, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर–बरेली ट्रांसपोर्ट कंपनी के निकट, मेरठ (उ.प्र.)। जिसका क्षेत्रफल 85.28 वर्ग मीटर है, जो श्रीमती अंजू जैन के नाम पर है। विक्रय विलेख दिनांक 16.05.2012 को उप-निबंधक, मेरठ के कार्यालय में बही संख्या 1, जिल्द संख्या 7816, पृष्ठ संख्या 389 से 418, क्रमांक 7972 पर पंजीकृत है तथा संशोधन विलेख दिनांक 14.03.2013 को उप-निबंधक, मेरठ के कार्यालय में बही संख्या 1, जिल्द संख्या 8619, पृष्ठ संख्या 341 से 352, क्रमांक 3280 पर पंजीकृत है। **सम्पत्ति संख्या 3:** प्लॉट संख्या 9 के सभी भाग व भूखंड, स्थित स्कीम संख्या 2, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर–बरेली ट्रांसपोर्ट कंपनी के निकट, मेरठ (उ.प्र.)। जिसका क्षेत्रफल 85.28 वर्ग मीटर है, जो श्री मोहित जैन पुत्र श्रीमती अंशु जैन के नाम पर है। विक्रय विलेख दिनांक 16.05.2012 को उप-निबंधक,मेरठ के कार्यालय में बही संख्या 1, जिल्द संख्या 7816, पृष्ठ संख्या 347 से 378, क्रमांक 7970 पर पंजीकृत है तथा संशोधन विलेख दिनांक 14.03.2013 को उप-निबंधक, मेरठ के कार्यालय में बही संख्या 1, जिल्द संख्या 8619, पृष्ठ संख्या 313 से 324, क्रमांक 3278 पर पंजीकृत है। **उपरोक्त सभी सम्पत्तियों को उधारकर्ता द्वारा मिलाकर एक ही भवन में परिवर्तित कर दिया गया है। अतः उधारकर्ता द्वारा इन सभी सम्पत्तियों को**					
6	**शाखाः बागपत रोड, मेरठ (253300)** श्रीमती अंशु जैन, पत्नी श्री मोहित जैन **(उधारकर्ता)**, पताः मकान संख्या 13ए, बीच वाली गली, जैन नगर, रेलवे रोड, बागपत गेट, मेरठ - 250002। श्री मोहित जैन, पुत्र श्री सुधीर जैन **(सह-उधारकर्ता)**, पताः मकान संख्या 13ए, बीच वाली गली, जैन नगर, रेलवे रोड, बागपत गेट, मेरठ- 250002।	बंधक एक आवासीय फ्लैट संख्या चतुर्थ फ्लोर, प्राइवेट संख्या बी-403 के सभी भाग व भूखंड, कवर्ड क्षेत्रफल 89 वर्ग मीटर एवं सुपर क्षेत्रफल फ्लैट 102.19 वर्ग मीटर स्थित मिनजुमले खसरा संख्या 310 में, विख्यात श्याम रतन अपार्टमेंट राजस्व, ग्राम अब्दुल्लापुर, परगना एवं तहसील मेरठ, जो श्रीमती अंशु जैन, पत्नी श्री मोहित जैन के स्वामित्व में है। सीमाएँः पूर्वः आम रास्ता। पश्चिमः भूतल पर रास्ता, उत्तरः फ्लैट संख्या बी-402, दक्षिणः फ्लैट संख्या बी-404।	(ए) 17.11.2023 (बी) रू0 29,25,584.00 + ब्याज दिनांक 01.11.2023 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (सी) रू0 37,04,952.00 + ब्याज दिनांक 21.05.2026 + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बार (डी) 29.02.2024 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 39.10 लाख रू0 3.91 लाख रू0 0.40 लाख	16.06.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 15.06.2026	SA no. 47/2026 डीआरटी लखनऊ भौतिक कब्जा
7	**शाखाः मंगल पांडेय नगर, मेरठ (620400)** श्री विवेक शर्मा पुत्र श्री सतेन्द्र पाल शर्मा **(ऋणी/बंधककर्ता)**, पता 1ः मकान नं. 135, सदर चौक बाजार, मेरठ- 250002, पता 2ः जी-102, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम, फेस-1, मोदीपुरम, मेरठ। पता 3ः 62/5, सुभाष नगर, गली नं0 1, मेरठ, उ0प्र0- 250002, पता 4ः 418, भारत कुटीर, श्री धाम अपार्टमेंट, रोहटा रोड, मेरठ। श्रीमती चितवन शर्मा पत्नी श्री विवेक शर्मा **(ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता)**, पता 1ः मकान नं. 135, सदर चौक बाजार, मेरठ- 250002, पता 2ः जी-102, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम, फेस-1, मोदीपुरम, मेरठ। पता 3ः 62/5, सुभाष नगर, गली नं0 1, मेरठ, उ0प्र0- 250002, पता 4ः 219, भारत कुटीर, श्री धाम अपार्टमेंट, रोहटा रोड, मेरठ।	बंधक आवासीय फ्लैट नं0 418 के सभी भाग व भूखंड, स्थित ''भारत कुटीर'' श्री धाम अपार्टमेंट रोहटा रोड, परगना एवं जिला- मेरठ, सम्पत्ति स्वामी श्री विवेक शर्मा पुत्र श्री सतेन्द्र पाल, माप क्षेत्रफल 1158 वर्ग फीट। सीमाएँः- पूर्वः रास्ता, पश्चिमः खुला स्पेश, उत्तरः खुला स्पेश, दक्षिणः फ्लैट नं0 419	(ए) 16.03.2023 (बी) रू0 41,23,736.00 + ब्याज दिनांक 01.03.2023 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (पूर्ण भुगतान होने तक) (सी) रू0 54,68,539.00 + ब्याज दिनांक 21.05.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (डी) 18.07.2023 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 31.00 लाख रू0 3.10 लाख रू0 0.50 लाख	16.06.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 15.06.2026	ज्ञात नहीं
8	**शाखाः सरधना, मेरठ (085800)** मैसर्स मून टैलर्स एवं रेडीमेड गारमेन्ट्स प्रोपराईशिप के अन्तर्गत मौहम्मद अफसर पुत्र मेंहदी हसन पताः निकट रेलवे क्रांसिग सरधना रोड, दौराला, जिला-मेरठ- 250342, मौहम्मद अफसर पुत्र मेंहदी हसन (प्रोपराईटर मून टैलर्स और बंधककर्ता), पताः निकट रेलवे क्रांसिग सरधना रोड, दौराला, जिला- मेरठ- 250342, पताः1- 227, ब्रहमपुरी, सुभाषपुरी, दौराला, सरधना, मेरठ- 250221, असलम (गारन्टर मौहम्मद अफसर) पुत्र मेंहदी हसन, पताः वार्ड नं. 9 और 10, सुभाषपुरी, दौराला, सरधना मेरठ- 250221, मौहम्मद उस्मान (गारन्टर मून टैलर्स और मौहम्मद अफसर), पुत्र अजीजुद्दीन, पताः वार्ड नं. 5, सुभाषपुरी, दौराला, सरधना मेरठ- 250221	बंधक आवासीय मकान के सभी भाग और खंड जिसका माप 83.61 वर्गमीटर अर्थात् 100 वर्गगज स्थित मौहल्ला ब्रहमपुरी (सुभाषपुरी), वार्ड नं. 09, कस्बा दौराला, परगना- दौराला, सरधना मेरठ। सम्पत्ति स्वामी मौहम्मद अफसर पुत्र मेंहदी हसन, सीमाएँः- पूर्व- 30 फीट/चौहाल का मकान, पश्चिम- 30 फीट/रास्ता 12 फीट, उत्तर- 30 फीट/रास्ता 15 फीट, दक्षिण- 30 फीट/अलीशेर का मकान।	(ए) 01.11.2023 (बी) रू0 26,25,511.28 + ब्याज दिनांक 01.11.2023 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (पूर्ण भुगतान होने तक) (सी) रू0 36,30,392.59 + ब्याज दिनांक 21.05.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (डी) 09.01.2024 ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 25.00 लाख रू0 2.50 लाख रू0 0.25 लाख	16.06.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 15.06.2026	ज्ञात नहीं
9	**शाखाः कंकरखेड़ा, मेरठ (072900)** 1. मैसर्स प्रोफेशनल एजुकेशन ट्रस्ट, पताः- बी-170, पल्लवपुरम फेज-1, मेरठ - 250110। 2. श्री संजीव तोमर पुत्र श्री ईश्वर सिंह **(अध्यक्ष)** पताः- बी-170, पल्लवपुरम फेज-1, मेरठ - 250110। 3. नीतू तोमर पत्नी श्री संजीव तोमर, पताः- बी-170, पल्लवपुरम फेज-1, मेरठ - 250110। 4. मायरास्त्र कॉलेज ऑफ ग्लोबल एजुकेशन, पताः- लावड़ रोड, दुल्हेरा चौहान, परगना-दौराला, तहसील-सरधना, मेरठ। 5. मेरठ कॉलेज ऑफ ग्लोबल एजुकेशन, पताः- लावड़ रोड, दुल्हेरा चौहान, परगना-दौराला, तहसील-सरधना, मेरठ। 6. मेरठ कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, पताः- खिर्वा जलालपुर, जिला- मेरठ। 7. साईं नाथ एजुकेशनल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, पताः- बी-170, पल्लवपुरम फेज-1, मेरठ - 250110। 8. नीलांजना एजुकेशन सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, पताः- बी-170, पल्लवपुरम फेज-1, मेरठ - 250110।	बंधक विद्यालय की भूमि एवं भवन, खसरा संख्या 1950, ग्राम खिर्वा जलालपुर, परगना/तहसील- सरधना, जनपद- मेरठ में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 6340 वर्ग मीटर है। स्वामित्वः मैसर्स प्रोफेशनल एजुकेशन ट्रस्ट (मेरठ कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन द्वारा संचालित)।	(ए) 09.01.2023 (बी) रू0 2,09,83,901.15 + ब्याज दिनांक 01.01.2022 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (पूर्ण भुगतान होने तक) (सी) रू0 3,59,57,018.55 + ब्याज दिनांक 21.05.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (डी) 19.04.2023 ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 340.00 लाख रू0 34.00 लाख रू0 3.40 लाख	16.06.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 15.06.2026	ज्ञात नहीं
10	**शाखाः गढ़ रोड, मेरठ (798200)** 1. मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी (प्रोप्राइटर - देवेंद्र कुमार), पताः- 198, फेज-II, रोहटा रोड, सरस्वती विहार फेज-II, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250002। 2. श्री देवेंद्र कुमार **(उधारकर्ता / बंधककर्ता)**, पताः- 198, फेज-II, रोहटा रोड, सरस्वती विहार फेज-II, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250002। 3. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री नत्थू राम **(गारंटर / बंधककर्ता)**, पताः- 198, फेज-II, रोहटा रोड, सरस्वती विहार फेज-II, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250002।	बंधक आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व भूखंड, स्थित नगरपालिका संख्या 550/50-92ए, खसरा संख्या 198 का भाग, जिसका क्षेत्रफल 126 वर्ग गज अथवा 105.35 वर्ग मीटर है, सरस्वती विहार, ग्राम औरंगशाहपुर, गोलाबाद, परगना रोहटा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएं इस प्रकार हैंः- पूर्वः- श्री विनोद कुमार का प्लॉट, पश्चिमः- श्री सत्यवीर सिंह का प्लॉट, उत्तरः- श्री के.पी. सिंह की संपत्ति, दक्षिण- 20 फीट चौड़ा रास्ता।	(ए) 06.04.2022 (बी) रू0 31,56,956.86 + ब्याज दिनांक 01.04.2022 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (पूर्ण भुगतान होने तक) (सी) रू0 46,59,973.97 + ब्याज दिनांक 21.05.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (डी) 20.06.2022 ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 49.00 लाख रू0 4.90 लाख रू0 0.50 लाख	16.06.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 15.06.2026	ज्ञात नहीं
11	**शाखाः मोदीपुरम (090200)** 1. श्री हर्ष तोमर पुत्र श्री जयदेव तोमर **(उधारकर्ता)**, पता 1ः- पी-192-1, पीईवीवाई एस्टेट, क्लेमेंट टाउन, देहरादून, उत्तराखंड - 250110। पता 2ः- कसमपुर खेड़ी, बिराल किशनपुर बराल, बागपत रोड, बड़ौत, उत्तर प्रदेश - 250623। पता 3ः- मकान संख्या OH-14, HIG पॉकेट OH, पल्लवपुरम फेज-2, मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250110। 2. श्रीमती नेहा तोमर पत्नी श्री हर्ष तोमर **(सह-उधारकर्ता)**, पता 1ः- पी-192-1, पीईवीवाई एस्टेट, क्लेमेंट टाउन, देहरादून, उत्तराखंड- 250110। पता 2ः कसमपुर खेड़ी, बिराल किशनपुर बराल, बागपत रोड, बड़ौत उत्तर प्रदेश - 250623। पता 3ः- मकान संख्या OH-14, HIG पॉकेट OH, पल्लवपुरम फेज-2, मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250110।	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व भूखंड, स्थित मकान संख्या OH-14, HIG पॉकेट OH, पल्लवपुरम फेज-2, मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250110, जिसका क्षेत्रफल 231.00 वर्ग मीटर तथा निर्मित क्षेत्रफल 550 वर्ग मीटर है, बही संख्या 1, जिल्द संख्या 1330 में पंजीकृत है। जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार हैंः- पूर्वः- मकान संख्या OH-15 / 22.0 मीटर। पश्चिमः- मकान संख्या OH-13 / 22.0 मीटर। उत्तरः- सड़क / 36.37 मीटर / 10.50 मीटर। दक्षिणः- खाली प्लॉट / 10.50 मीटर।	(ए) 15.11.2025 (बी) रू0 94,23,142.39 + ब्याज दिनांक 01.11.2025 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (पूर्ण भुगतान होने तक) (सी) रू0 97,98,377.52 + ब्याज दिनांक 21.05.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (डी) 25.03.2026 ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 211.00 लाख रू0 21.10 लाख रू0 2.00 लाख	07.07.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 06.07.2026	SA no. 128/2026 डीआरटी लखनऊ

विक्रय सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) नियम, 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन होगा तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगीः-

1. संपत्तियों का विक्रय ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी है'' के आधार पर किया जाएगा।
2. उपरोक्त अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, तथापि इस घोषणा में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत विवरण अथवा चूक के लिए प्राधिंत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
3. विक्रय, अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी मंच के माध्यम से www.pnbindia.in एवं https://baanknet.in वेबसाइट पर दिनांक 08.06.2026 एवं 16.06.2026 एवं 07.07.2026 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक किया जाएगा।
4. ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता को आरक्षित मूल्य से कम से कम एक बोली अधिक लगाना अनिवार्य होगा।
5. विक्रय की विस्तृत शर्तों एवं नियमों के लिए कृपया www.pnbindia.in एवं https://baanknet.com वेबसाइट देखें।

हस्ताक्षरित-
श्री विकास कुमार
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक

दिनांकः 22.05.2026 | स्थान – मेरठ | प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार